

09.06.2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनु.

न्यायालय समय तक रुक-रुक कर
मासों में दिलाई गई। बावजूद सूचना
अनुपस्थित की अपील अपीलान्त मदन
राजगी एवं मदन देवी में याचिका
की जाती है पत्रावली के शल सुभा
नंबर ले कर दोक बाद तकनीक
द्वारा फोटो ले। मोदेश करे इजलास
सुनाया गया

Jain
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर